न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/103

दायरा तिथि : 05.04.2022

आदेश तिथि : 14-09-22

प्रार्थीया :–

वनकीदेवी पत्नी गुलाबराम

जाति जणवा चौधरी निवासी सादडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. गुलाबराम पुत्र नेमाराम
2. पूनाराम पुत्र वागाराम
3. राईगाराम पुत्र वागाराम जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण सादडा
4. सोनकी पत्नी तलाराम जाति सीरवी निवासी दांतीवाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 14-09-22

प्रार्थीया ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 330 रकबा 1.3600 हैक्टर भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम सादडा पटवार हल्का, लाटाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 331 रकबा 1.3900 हैक्टर मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2479 दिनांक 05.08.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम सादडा तहसील बाली के खसरा 330 रकबा 1.3600 हैक्टर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम की खातेदारी भूमि श्रीमती वनकी पत्नी गुलाबराम हि. 8/17, पूनाराम पुत्र वागाराम हि. 1/4, राईगाराम पुत्र वागाराम हि. 1/4, गुलाबराम पुत्र नेमाराम हि. 1/34 जाति जणवा चौधरी निवासी के नाम से दर्ज है व खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वर्तमान में आवेदक प्रस्तावित रास्ता में से ही आवागमन करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता के लिये ख.नं. 331 रकबा 1.39 हैक्टर में प्रार्थीनी के पति गुलाबाराम पुत्र नेमाराम का हि. 12/139वां अप्रार्थी भी गुलाबराम पुत्र नेमाराम को बनाया गया है। इस प्रकार आवेदित भूमि ख.नं. 331 में रकबा 0.12 है. भूमि रास्ते के लिये ही खरीदी हुई है। प्रार्थीनी की मंशा गुलाबराम पुत्र नेमाराम के हिस्से के बराबर गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने की है। प्रार्थीनी के द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है मौके के अनुसार यह 160 मीटर लंबाई में आता है जबकि ख.नं. 356 गै.मु.रास्ता उपलब्ध है वहां से ख.नं. 331 में से 6X6 व.मी. का रास्ता ख.नं. 330 में जाने के लिये सुविधाजनक है।

अतः उक्त प्रकरण में जहां पर से प्रार्थीनी खातेदार के द्वारा रास्ता चाहा गया है वह नियमानुसार सही नहीं है क्योकि ख.नं. 331 रकबा 1.39 हैक्टर में प्रार्थीनी के पति गुलाबराम पुत्र नेमाराम का हि. 12/139वां अप्रार्थी भी गुलाबराम पुत्र नेमाराम को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार आवेदित भूमि ख.नं. 331 में रकबा 0.12 है. भूमि रास्ते के लिये ही खरीदी हुई है। प्रार्थीनी की मंशा गुलाबराम पुत्र नेमाराम के हिस्से के बराबर गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने की है।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीया वनकीदेवी जो कि खसरा नंबर 330 रकबा 1.3600 हैक्टर की सहखातेदार है जिसने प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीया अपनी सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 330 रकबा 1.3600 हैक्टर में आवागमन के लिय जिस खसरा नंबर 331 रकबा 0.1200 हैक्टर में से नये रास्ते की मांग की जा रही है। उक्त दोनों खसरों की भूमि में बतौर सहखातेदार प्रार्थीया के पति

पेज लगातार 02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/103
अनवान वनकीदेवी बनाम गुलाबराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

गुलाबराम पुत्र नेमाराम दर्ज है। प्रार्थीया ने अपने आवेदन पत्र में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा खसरा नंबर 331 रकबा 0.1200 हैक्टर में से नवीन रास्ता 251 ए के तहत चाहा है। मूल रूप से प्रार्थीया अपनी सहखातेदारी भूमि का बिना विभाजन कराये अपरोक्ष रूप से खसरा नंबर 331 रकबा 0.1200 हैक्टर से नवीन रास्ते की मांग की है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री प्रियंका स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 14-09-22

पत्रांक : कोर्ट/2022/3397-98
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. आवेदक वनकीदेवी पत्नी गुलाबराम जाति जणवा चौधरी निवासी सादडा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner